

5. परलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा से अधिक नहीं होगी। सैण्टिक टैंक एवं
सैंक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।
6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस
कार्यालय में दिनांक ३०/६/२०१० तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
7. मैसर्स सांमग कन्सल्टेशन लि०, सांमग सिटी टाउनशिप, ग्राम शहपुर, बमहेटा, एन० एच०
२४, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तावित उक्त आवासीय योजना में २०३ बिल्डिंग, २४० एल०आई०जी०,
२४० ई०डब्ल्यू०एस०२०८७ फ्लैट का आवासीय कालोनी स्कूल शॉपिंग क्लबमलेक्स, क्लब,
का निर्माण किया जाये।
8. मै० सांमग कन्सल्टेशन लि०, सांमग सिटी टाउनशिप, ग्राम शहपुर, बमहेटा, एन० एच०
२४, गाजियाबाद द्वारा प्रस्ताव के अनुसार एस०टी०पी० का निर्माण कर यथा संभव
रिसर्कुलेंट किया जाये।
9. उद्योग/संस्था शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी० जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु
अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
10. सार्वजनिक ड्रेस्ट मैनेजमेंट प्रस्तावानुसार किया जाये।
11. समस्त प्रस्तावित डी०जी० सेट पर स्वनि सेवक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार
पर्याप्त अपघात को चिमनी से स्थापित की जाये।
12. प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्बोरिंग व्यवस्था स्थापित करें।
13. उद्योग/संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के
रूप में विकसित करें।
14. उद्योग/संस्था को यह एन०सी०सी० कल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम १९८२ के
अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित किया जा रहा है।
15. बैंक गारन्टी की शर्तों का अनुपालन न करने की दृष्टि में प्रेषित बैंक गारन्टी जोड़ के पत्र में
अवमूक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।
16. अनागत प्रमाण पत्र की वैधता तिथि ५ वर्ष या बैंक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष
पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

For Sare Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३०/६/२०१० तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

समस्तु प्रभु

पूज्यमान सा.

/ एन. ओ. सी.

तद दिनांक

गतिविधि

1. गताप्रस्थक जिला उद्योग बोर्ड गाजियाबाद

2. उपर्युक्त आधिकारी सा. प्र. उ. प्र. निराकरण बोर्ड उत्तराखण्ड।

3. क्षेत्रीय आधिकारी सा. प्र. उ. प्र. निराकरण बोर्ड गाजियाबाद

4.

For Sare Saamag Ream Limited

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Authorised Signatory



Director
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Government of India
Regional Office (Central Region)
Kendriya Bhawan, 5th floor, Sector-H, Allganj
Lucknow- 226024

Date: 30.12.16

Sub: Submission of Six Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September-2016 due in December-2016 of Conditions stipulated in Environmental Clearance letter of the construction of Residential Township "Saga City" at Village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghaziabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

Reference: Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA.III dated 26 December 2007.

Dear Sir,

With reference to the submission of Six Monthly Compliance Report of the Conditions/Safeguards obtained vide Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA.III dated 26 December 2007 for the construction of Residential Township "Saga City" at village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghaziabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

In this regard, we would like to inform you that part of our project has been completed and rest is under construction. As per the conditions laid down in the Environmental Clearance Letter, we are hereby submitting the Six-Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September-2016 due in December-2016 along with all the requisite annexure and soft copy(CD) as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For M/s Saamag Construction Limited

(Authorized Signatory)

Name: Umesh Kumar

Contact No.: 8527822778

Email-Id: Umesh.Sharma@saregroup.com

सागर प्रोपर्टी
Pvt
02-1-17

Copy to:
Secretary,
State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.,
Directorate of Environment, U.P.,
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar,
Vineet Khand-I, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

Regd. Office:
B-67, Sarita Vihar,
New Delhi - 110 076
Ph: +91-11-26952110
Fax: +91-11-26952114

SAAMAG HOUSE
B-72, Sector-57, NOIDA - 201 301, UP, INDIA
Ph: +91 120 471 1111, 435 6666
Fax: +91 120 471 1100/22
E-mail: info@saamag.com
Website: www.saamag.com



For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.
Authorized Signatory

